



शाहजहांपुर पुलिस



प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक- 24.10.2024

थाना बण्डा पुलिस द्वारा मोटर साइकिल चोरी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) महोदय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय जनपद शाहजहांपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण एवं चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम/गश्त के दौरान दिनांक 24.10.2024 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 22.10.2024 को थाना बण्डा क्षेत्र के श्री मनोज कुमार पुत्र श्री रीतराम निवासी ग्राम भौरखेडा जिगनियां थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा एक अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध खुद की मोटर साइकिल चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0-686/2024 धारा 305 बी.एन.एस. पंजीकृत कराया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 नीरज कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अज्ञात चोर की अतिशीघ्र गिरफ्तारी/ मोटर साइकिल की बरामदगी हेतु एक टीम का गठन किया गया। जिसके टीम प्रभारी थानाध्यक्ष सोनी शुक्ला थाना बण्डा थे। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2024 को उ0नि0 नीरज कुमार सिंह मय हमराहीयान के देखरेख शान्ति/कानून व्यवस्था, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी, अभियान रोकथाम अवैध शस्त्र बरामदगी / शराब कसीदगी-बिक्री व रोडगश्त इलाका थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना/निशादेही पर अभि0 गण 1. शिवकुमार पुत्र ईश्वर दयाल निवासी ग्राम भौरखेडा जिगनिया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी राम नगर कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर, 2. कल्लू उर्फ सोनपाल पुत्र गोवर्धन लाल निवासी गुरुनानक कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर को ददिउरी मोड तिराहे के पास से समय करीब 01.58 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा उपरोक्त व्यक्तियों के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साइकिल बरामद हुई। अभि0 गण से मोटर साइकिल बरामदगी के आधार पर नियमानुसार धारा 317(2) बी.एन.एस. की वृद्धि की गयी है। उपरोक्त कार्यवाही के बाद अभियुक्त गण उपरोक्त न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

➤ **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. शिवकुमार पुत्र ईश्वर दयाल निवासी ग्राम भौरखेडा जिगनिया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर हाल निवासी राम नगर कालोनी थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. कल्लू उर्फ सोनपाल पुत्र गोवर्धन लाल निवासी गुरुनानक कालोनी थाना बण्डा शाहजहाँपुर

➤ **बरामदगी का विवरण-**

1. मोटर साईकिल स्पिलेन्डर प्लस रजि0न0- UP 27 BA 1179, चेसिस न0-MBLHAW129MHC28592 तथा इंजन न0 HA11EDMHC49505
2. स्पिलेन्डर प्रो रजि0 सं0- UP 27 S 5770 चेसिस नम्बर MHLHA10ASCHG15638 तथा इंजन न0 HA10ELCHG15365,

➤ **अपराधिक इतिहास का विवरण-**

1. मु0अ0सं0-686/2024 धारा 305/317(2) बी.एन.एस. बनाम शिवकुमार आदि 02 नफर थाना बण्डा शाह0पुर,
2. मु0अ0सं0- 615/2021 धारा 323/324/504/506 भादवि बनाम शिवकुमार थाना बण्डा शाह0पुर,

➤ **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. थानाध्यक्ष सोनी शुक्ला थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. उ0नि0 नीरज कुमार सिंह थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3. रि0उ0नि0 सौरभ कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4. का0 2054 विक्रान्त मलिक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
5. का0 2089 मोहित पवार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
6. का0 1970 योगेश कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
7. का0 795 प्रवीण कश्यप थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
8. का0 1737 नरेन्द्र कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर ।

पूछताछ अभियुक्त..... अभि0 गण नि0 उपरोक्त ने पूछताछ पर संयुक्त रूप से अपने 2 जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि हम दोनो मिलकर बाईक चोरी करते है तथा सस्ते दामो मे अंजान आदमियों को बेच देते हैं। यह दोनो मोटरसाइकिले भी हम लोगों ने चोरी की थी जिनको हम बेचने के लिए जा रहे थे। तब तक आप लोगो ने हमे पकड़ लिया। हमनें सही सही बात आपको बता दी है, हमसे गलती हो गयी है, हमें माफ कर दो।